दिनांक 10.01.2018 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग के कुल बजट उपलब्ध 2400 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 555 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। अगले सप्ताह तक मुख्यालय स्तर से लगभग 70 करोड़ रू0 की निकासी हो जाएगी। निदेश दिया गया कि मुख्यालय स्तर से जो भी राशि की निकासी की जानी है, उसकी निकासी एक सप्ताह के अन्दर कर ली जाय।

(अनु0—बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग)

2. विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत जिलावार कोषागार से निकासी की गई राशि एवं कोषागार में प्रस्तुत किये गये विपत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, दरभंगा, जहानाबाद, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण की उपलब्धि अभी भी 40 प्रतिशत से कम है। इन जिलों के नोडल पदाधिकारियों को राशि की निकासी पर विशेष ध्यान देने एवं यदि कोई समस्या हो तो जिला पदाधिकारी से मिलकर उसका निदान कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0—सम्बंधित जिला नोडल पदाधिकारी)

3. **बीज :—**

3.1 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को बीज योजना का कार्यान्वयन अनुदेश का पालन करने, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम एवं बीज ग्राम योजना का प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु पत्र भेजने तथा बीज योजना अन्तर्गत आवंटित राशि की निकासी करवाने का निदेश उप निदेशक (शष्य) बीज को दिया गया।

3.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी से विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत जिला में एजेन्सीवार बिक्री की गई बीज की सूचना तथा सभी बीज कंपनियों से भी जिलावार, योजनावार एवं फसलवार बिक्री किये गये बीज की मात्रा का प्रतिवेदन की मांग करने का निदेश दिया गया।

(अनु0—कंडिका 3.1 एवं 3.2—उप निदेशक (शष्य), बीज)

3.3 बिहार राज्य बीज निगम को आधारभूत संरचना विकास हेतु 440.03 लाख रू0 की निकासी मुख्यालय से की जानी है। इस राशि की अविलम्ब निकासी करने हेतु बजट पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनु0—बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :— समीक्षा के क्रम में बताया गया कि रा0खा0सु0मि0, वर्ष 2015—16 का उपयोगिता प्रमाण—पत्र अभी तक बक्सर, रोहतास, भभुआ, नवादा, पश्चिम

चम्पारण, शिवहर, शेखपुरा एवं बांका से अप्राप्त है। मधेपुरा से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण लौटा दिया गया है। सम्बंधित जिला के नोडल पदाधिकारी को अविलम्ब अपने जिला का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजवाने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में राशि की निकासी में विलम्ब नहीं होनी चाहिए।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी / जिला नोडल पदाधिकारी)

5. **जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम**

5.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 12977.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 5461.23 लाख रू0 की निकासी हुई है। छः जिलों यथा बक्सर, लखीसराय, अररिया, शेखपुरा, भागलपुर एवं भोजपुर में अभी तक 10 प्रतिशत से भी कम राशि की निकासी की गई है। बक्सर जिला की निकासी अभी तक शून्य है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग को इन छः जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

5.2 निदेश दिया गया कि अगले वर्ष से व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान की राशि की निकासी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से किये जाने का प्रावधान किया जाय।

(अनु0–कंडिका 5.1 एवं 5.2–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग)

6. **कृषि यांत्रिकीकरण :–**

6.1 इस योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 18000.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 2560.09 लाख रू0 की निकासी हुई है। पूर्वी चम्पारण, शेखपुरा, रोहतास, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद एवं मुंगेर में अभी तक 5 प्रतिशत से भी कम राशि की निकासी की गई है। सभी जिला नोडल पदाधिकारी को इस पर ध्यान देने एवं राशि की निकासी करवाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला नोडल पदाधिकारी)

6.2 अनुमंडल स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण मेला आयोजित करने हेतु मुख्यालय से तिथि निर्धारित कर सभी हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

6.3 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा सूचित किया गया कि एग्रो बिहार मेला, 2017 हेतु बी0आर0बी0एन0 को उपलब्ध कराई गई राशि का अभिश्रव अभी तक अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि बी0आर0बी0एन0 में जाकर अभिश्रव प्राप्त कर लिया जाय।

(अनु0–6.2 एवं 6.3 –राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 281.35 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक कुल 130 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत

1200.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 26.39 लाख रू0 की निकासी हुई है। इसमें अविलम्ब प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

8. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 3470.47 लाख रू0 के विरूद्ध 134.09 लाख रू0 की निकासी हुई है। एन0एम0ओ0ओ0पी0 योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 344.74 लाख रू0 के विरूद्ध 20.20 लाख रू0 की निकासी हुई है। प्रभारी पदाधिकारी, एन0एम0ओ0ओ0पी0 द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति की राशि ज्यादा रहने के कारण व्यय नहीं हो पा रही है। दूसरी किस्त की राशि जिलों में चले जाने के बाद पूर्ण राशि खर्च हो जाएगी।

9. सूचित किया गया कि सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल योजना एवं परम्परागत कृषि विकास योजना का आवंटन जिलों में चला गया है। इसकी निकासी कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 7 से 9 तक–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

12-1-18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8 / कृ0नि0यो0वि0–36 / 15(खण्ड) – 251 **पटना, दिनांक :–** 15-1-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना / विशेष सचिव, कृषि विभाग / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना / उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव / मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया / संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी परियोजना निदेशक, आत्मा / सभी योजना के नोडल पदाधिकारी / सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-1-18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8 / कृ0नि0यो0वि0–36 / 15(खण्ड) – 251 **पटना, दिनांक :–** 15-1-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12-1-18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।